फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)

.....राकेश.....बनाम.....बाबूलाल वगै०.....

किस्म मुकदमा– T.I. मु.न. 46 /2024

तारीख हुक्म	
18/2/25	पत्रावली पेश हुई। वकील द्वारा कार्य स्थगत/P.O सा राज्य क[illegible] से परस्त, वौरे पर होने से जनरल पेशी लगा दी गई। पत्रावली दिनांक 16/4/25 को पेश हो।
16/4/25	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी अनु०, पत्रावली मे पैरवी हेतु बार-बार खुले न्यायालय मे आवाज लगाई गई लेकिन कोई भी हाजिर नहीं आया। अतः पत्रावली अग्रिम पैरवी अग्रिम हाजिरी के मद्देनजर रखी जाती है। उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा